राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 510/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज., वृत–तृतीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एडवांस स्ट्रिप्स प्रा.लि.,
बी–774, रोड नम्बर 13, वीकेआई एरिया, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 119/अपील्स–III/2011–12/ई में पारित आदेश दिनांक 15.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित संशोधन आदेश दिनांक 14.07.2011, अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 37 के तहत् आरोपित ब्याज राशि रूपये 23,590/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वर्ष 1996–97 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.1999 के अन्तर्गत संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रूपये 3,105/– के अग्रिम जमा के क्रेडिट न दिये जाने तथा रूपये 23,590/– के ब्याज में संशोधन चाहा। सशक्त अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को रूपये 3,105/– का क्रेडिट दिया जा चुका है परन्तु ब्याज राशि रूपये 23,590/– में संशोधन अधिनियम की धारा 37 में प्रदत्त निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत होना नहीं मानकर अस्वीकार कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.09.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित ब्याज राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा

लगातार.....2

पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.1997 को पारित किया जिसमें कर राशि रूपये 98,293/– एवं शास्ति राशि रूपये 1,50,000/– आरोपित की गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त राशि जमा करवा दी गई। इसके पश्चात् सशक्त अधिकारी ने दिनांक 14.07.2011 को ब्याज राशि रूपये 23,590/– का संशोधन प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न होने के साथ अस्वीकार कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे अपने कथन में कहा कि जब कुल मांग राशि का समायोजन कर लिया गया तो उस पर ब्याज का आरोपण स्वतः ही कम करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज अनुचित व अविधिक है। विद्वान अधिवक्ता ने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। सशक्त अधिकारी द्वारा अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.1997 को पारित किया गया, एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कुल मांग राशि 2,48,293/– का आरोपण किया गया, जिसे प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 18.03.1997 को 1,00,000/–, दिनांक 26.03.1997 को 98,293/– एवं दिनांक 27.03.1997 को 50,000/– जमा करवा दिया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आरोपित मांग राशि को समय पर ही जमा करवा दी गई। अतः अपीलीय अधिकारी ने ब्याज के आदेश को अपास्त कर दिया जो उचित है। इस संबंध में उक्त अपील में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष